संख्या-38/2025/।/917487/2025/00-71-2099-255-2020

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2025

विषयः- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के लॉरी कार्डियोलाजी विभाग के विस्तारीकरण सम्बन्धी प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11509/योजना अनु0/2025, दिनांक 18.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के लॉरी कार्डियोलाजी विभाग के विस्तारीकरण सम्बन्धी प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत कराए गए कार्यो की थर्ड पार्टी आडिट रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि लॉरी कार्डियोलाजी विभाग के विस्तारीकरण सम्बन्धी प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-104/2015/3122/71-2-15-के0जी0एम0यू0-5/2015 दिनांक 04.12.2015 द्वारा धनराशि रू0 4758.86 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त परियोजना का पुनरीक्षण व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 03.12.2020 द्वारा करते हुए लागत रू0 7044.75 लाख अनुमोदित की गयी। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक-14.01.2022 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 7044.75 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न शासनादेशों द्वारा अब तक कुल धनराशि रू0 6692.51 लाख अवमुक्त की गयी है एवं 05 प्रतिशत धनराशि रू0 352.24 लाख अवशेष है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के लॉरी कार्डियोलाजी विभाग के विस्तारीकरण सम्बन्धी प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परियोजना में अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 35224000/- अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. प्रायोजना का भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 की होगी।
3. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा प्रश्नागत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है एवं इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
4. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा। बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
5. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
6. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव की होगी।
7. लागत में परिवर्तन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8. प्रश्नागत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,52,24,000 (रुपये तीन करोड़ बावन लाख चौबीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-38/2025/I/917487/2025/00-71-2099-255-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।**
3. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**
5. **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।**
6. **वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।**
7. **वित्त ई-3**
8. **नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।**
9. **परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।**
10. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**